(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 31 /2019-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर, 2019

सा.का.नि.... (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में सारणी में, क्रम संख्या 404 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ड.) के पश्चात, निम्नलिखित मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(च) हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाईसेंसिंग पॉलिसी (HELP) या ओपेन एक्रेज लाईसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के अंतर्गत विभिन्न अनुबंधों के तहत किए जाने वाले पेट्रोलियम आपरेशन्स या कोल बेड मिथेन आपरेशन्स" ।

(फाइल संख्या 354/130/2019- टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 30/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 17 सितंबर, 2019, जिसे सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 17 सितंबर, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।